

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश
पं० दीन दयाल उपाध्याय सूचना परिसर, 16 पार्क रोड, हजरतगंज,
लखनऊ - 226001

उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति - 2024 के अंतर्गत सूचीबद्धता हेतु
आवेदन पत्र का प्रारूप

<https://forms.gle/FoqJGoGuGMtHyKdq5>

1. डिजिटल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल/अकाउंट होल्डर/संचालक/डिजिटल मीडिया इनफ्लूएंसर्स/कंटेंट राइटर अथवा इनसे संबंधित एजेंसी/फर्म का विवरण -

नाम	प्लेटफॉर्म	यू0आर0एल0	पासपोर्ट साइज फोटो विपकाएं
	• यूट्यूब		
	• फेसबुक		
	• इंस्टाग्राम		
	• 'X' (पूर्व में ट्विटर)		

2. स्वागित्व का पूर्ण विवरण -

नाम	पूर्ण पता (पिन कोड सहित)	फोन/मोबाईल	ईमेल
पैन नंबर	आधार नंबर	जीएसटी नंबर	आयकर रिटर्न (यदि व्यक्तिगत स्तर पर संचालन किया जा रहा है)

कृपया आवेदन फॉर्म के साथ प्रति संलग्न करें

- पैन कार्ड
- आधार कार्ड
- जीएसटी सर्टिफिकेट
- आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

3. डिजिटल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल/अकाउंट होल्डर/संचालक/डिजिटल मीडिया इनफ्लूएंसर्स/कंटेन्ट राइटर अथवा इनसे संबंधित एजेंसी/फर्म का अस्तित्व —

डिजिटल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल/अकाउंट होल्डर/संचालक/डिजिटल मीडिया इनफ्लूएंसर्स/कंटेन्ट राइटर अथवा इनसे संबंधित एजेंसी/फर्म के संबंधित प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण की तिथि :		
अस्तित्व :	 वर्ष	 माह दिन

पंजीकरण से संबंधित मान्य प्रपत्र संलग्न करें

4. डिजिटल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल/अकाउंट होल्डर/संचालक/डिजिटल मीडिया इनफ्लूएंसर्स/कंटेन्ट राइटर अथवा इनसे संबंधित एजेंसी/फर्म के फॉलोअर/सब्सक्राइबर्स का विवरण—

प्लेटफॉर्म	फॉलोअर/सब्सक्राइबर्स की संख्या
• यूट्यूब	सब्सक्राइबर्स
• फेसबुक	फॉलोअर
• इंस्टाग्राम	फॉलोअर
• 'X' (पूर्व में ट्विटर)	फॉलोअर

फॉलोअर/सब्सक्राइबर्स की संख्या से संबंधित मान्य प्रपत्र संलग्न करें

5. U0P0 डिजिटल मीडिया नीति — 2024 के अंतर्गत उस श्रेणी के आगे (✓) मार्क करें जिसके अंतर्गत डिजिटल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल/अकाउंट होल्डर/संचालक/डिजिटल मीडिया इनफ्लूएंसर्स/कंटेन्ट राइटर अथवा इनसे संबंधित एजेंसी/फर्म को सूचीबद्ध होना है—

यूट्यूब	(✓) मार्क करें
श्रेणी ए	
श्रेणी बी	
श्रेणी सी	
श्रेणी डी	

फेसबुक	(✓) मार्क करें
श्रेणी ए	
श्रेणी बी	
श्रेणी सी	
श्रेणी डी	

इंस्टाग्राम	(✓) मार्क करें
श्रेणी ए	
श्रेणी बी	
श्रेणी सी	
श्रेणी डी	

'X' (पूर्व में ट्विटर)	(✓) मार्क करें
श्रेणी ए	
श्रेणी बी	
श्रेणी सी	
श्रेणी डी	

6. डिजिटल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल/अकाउंट होल्डर/संचालक/डिजिटल मीडिया इनफ्लूएंसर्स/कंटेन्ट राइटर अथवा इनसे संबंधित एजेंसी/फर्म को विज्ञापन आवश्यकता/उपयोगिता/अवसर और बजट उपलब्धता के आधार पर ही निर्गत किए जाएंगे। डिजिटल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल/अकाउंट होल्डर/संचालक/डिजिटल मीडिया इनफ्लूएंसर्स/कंटेन्ट राइटर को अधिकार स्वरूप कोई भी विज्ञापन अनुमत्य नहीं होगा। विज्ञापन दिया जाना सूचना निदेशक का विशेषाधिकार होगा एवं विभाग मासिक भुगतान के लिए बाध्य नहीं होगा।

7. डिजिटल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल/अकाउंट होल्डर/संचालक/डिजिटल मीडिया इनफ्लूएंसर्स/कंटेन्ट राइटर अथवा इनसे संबंधित एजेंसी/फर्म को कम से कम दो वर्ष से अस्तित्व

- में होना चाहिए। इस अवधि में डिजिटल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल/अकाउंट होल्डर/संचालक/डिजिटल मीडिया इनफ्लूएंसर्स/कंटेंट राइटर अथवा इनसे संबंधित एजेंसी/फर्म का कार्यालय पता एवं वेब पता (URL) नहीं बदला होना चाहिए।
8. डिजिटल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल/अकाउंट होल्डर/संचालक/डिजिटल मीडिया इनफ्लूएंसर्स/कंटेंट राइटर अथवा इनसे संबंधित एजेंसी/फर्म के फॉलोअर/सब्सक्राइबर्स की संख्या 1,00,000 (एक लाख) से कम नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में संबंधित प्लेटफॉर्म की एनॉलिटिक्स रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. डिजिटल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल/अकाउंट होल्डर/संचालक/डिजिटल मीडिया इनफ्लूएंसर्स/कंटेंट राइटर अथवा इनसे संबंधित एजेंसी/फर्म हेतु भुगतान राशि की गणना व्यूज/रीच के आधार पर की जायेगी।
10. विज्ञापन का भुगतान मूल कार्यादेश (RO) प्रस्तुत करने पर ही किया जायेगा। विज्ञापन अवधि समाप्त होने की तिथि से तीन माह (03 माह) के अंदर भुगतान हेतु बीजक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा।
11. डिजिटल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल/अकाउंट होल्डर/संचालक/डिजिटल मीडिया इनफ्लूएंसर्स/कंटेंट राइटर अथवा इनसे संबंधित एजेंसी/फर्म के रीच/व्यूज/लाईक्स के थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन, अन्य किसी भी प्रकार की गणना अथवा प्रपत्रों की जांच में गलत पाए जाने पर डिजिटल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल/अकाउंट होल्डर/संचालक/डिजिटल मीडिया इनफ्लूएंसर्स/कंटेंट राइटर को ब्लैक लिस्ट कर उनकी सूचीबद्धता को निरस्त कर दिया जायेगा।
12. यह पाए जाने पर कि डिजिटल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल/अकाउंट होल्डर/संचालक/डिजिटल मीडिया इनफ्लूएंसर्स/कंटेंट राइटर अथवा इनसे संबंधित एजेंसी/फर्म द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत कर विज्ञापन प्राप्त किया है तो उसे ब्लैक लिस्ट कर भुगतान की गई विज्ञापन धनराशि को विधिक कार्यवाही करते हुए वसूल किए जाने का अधिकार सूचना निदेशक के पास होगा।
13. सब्सक्राइबर/फॉलोअर की गणना विगत 06 माह के औसत आधार पर किया जायेगा जिस हेतु संबंधित डिजिटल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल/अकाउंट होल्डर/संचालक/डिजिटल मीडिया इनफ्लूएंसर्स/कंटेंट राइटर अथवा इनसे संबंधित एजेंसी/फर्म को विगत 06 माह का प्रतिमाह एवं संयुक्त एनॉलिटिक्स रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।
14. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को डिजिटल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल/अकाउंट होल्डर/संचालक/डिजिटल मीडिया इनफ्लूएंसर्स/कंटेंट राइटर अथवा इनसे संबंधित एजेंसी/फर्म को स्तर, सामग्री (कंटेंट), औचित्य और लक्ष्य समूह की आवश्यकता को देखते हुए विज्ञापन संबंधी पात्रता को अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
15. स्वीकृत तथा निर्गत विज्ञापन आदेश में आंशिक रूप से तकनीकी संशोधन का अधिकार सूचना निदेशक के पास सुरक्षित रहेगा।
16. डिजिटल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल/अकाउंट होल्डर/संचालक/डिजिटल मीडिया इनफ्लूएंसर्स/कंटेंट राइटर अथवा इनसे संबंधित एजेंसी/फर्म द्वारा बनाया गया कंटेंट अनुमोदन हेतु सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध कराया जायेगा, कंटेंट अनुमोदनोपरांत ही प्रचारित-प्रसारित किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा।

आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र
(रुपये 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटराईज)

1. मैं जो कि नाम के डिजिटल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल/अकाउंट होल्डर/संचालक/डिजिटल मीडिया इनफ्लूएंसर्स/कंटेन्ट राइटर अथवा इनसे संबंधित एजेंसी/फर्म का स्वामी हूँ, शपथपूर्वक यह घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में प्रस्तुत किये गये सभी तथ्य एवं विवरण (फॉलोवर्स, सब्सक्राइबर्स, एनॉलिटिक्स रिपोर्ट आदि) मेरी जानकारी व विश्वास में सही हैं। यदि आवेदन पत्र में मेरे द्वारा प्रस्तुत कोई भी विवरण झूठा या गलत पाया जाता है तब उस स्थिति में विभागीय सूचीबद्धता निरस्त किए जाने तथा नियमानुसार विधिक कार्यवाही किए जाने हेतु निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उओप्रओ, लखनऊ पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगे।
2. मैं जो कि नाम के डिजिटल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल/अकाउंट होल्डर/संचालक/डिजिटल मीडिया इनफ्लूएंसर्स/कंटेन्ट राइटर अथवा इनसे संबंधित एजेंसी/फर्म का स्वामी हूँ, शपथपूर्वक यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे हैंडल/पेज/चैनल/अकाउंट का अस्तित्व 02 वर्ष से है तथा संचालन निरंतर हो रहा है।
3. मैं जो कि नाम के डिजिटल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल/अकाउंट होल्डर/संचालक/डिजिटल मीडिया इनफ्लूएंसर्स/कंटेन्ट राइटर अथवा इनसे संबंधित एजेंसी/फर्म का स्वामी हूँ, शपथपूर्वक यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे हैंडल/पेज/चैनल/अकाउंट के विरुद्ध कोई अपराधिक मामला दर्ज नहीं है।
4. मैं जो कि नाम के डिजिटल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल/अकाउंट होल्डर/संचालक/डिजिटल मीडिया इनफ्लूएंसर्स/कंटेन्ट राइटर अथवा इनसे संबंधित एजेंसी/फर्म का स्वामी हूँ, शपथपूर्वक यह घोषणा करता/करती हूँ कि वीडियो/रील/पॉडकॉस्ट/पोस्ट/कंटेन्ट आदि के निर्माण हेतु मेरे पास शूटिंग से संबंधित समस्त उपकरण उपलब्ध है।
5. हैंडल/पेज/चैनल/अकाउंट के स्वामित्व का विवरण—

प्लेटफॉर्म का नाम	डिजिटल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल/अकाउंट होल्डर/संचालक/डिजिटल मीडिया इनफ्लूएंसर्स/कंटेन्ट राइटर अथवा इनसे संबंधित एजेंसी/फर्म का स्वामित्व
यूट्यूब	
फेसबुक	
इंस्टाग्राम	
'X' (पूर्व में ट्विटर)	

दिनांक—
स्थान—

आवेदक का नाम—
आवेदक के हस्ताक्षर —

सूचना विभाग द्वारा डिजिटल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल/अकाउंट
होल्डर/संचालक/डिजिटल मीडिया इनफ्लूएंसर्स/कंटेंट राइटर अथवा इनसे संबंधित
एजेंसी/फर्म के विज्ञापन का भुगतान सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित किये जाने हेतु बैंक
खाता विवरण उपलब्ध कराये जाने का प्रारूप

(खाता केवल राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक का ही मान्य)

डिजिटल हैंडल/पेज/चैनल/अकाउंट होल्डर/संचालक/डिजिटल इनफ्लूएंसर्स/कंटेंट राइटर अथवा इनसे संबंधित एजेंसी/फर्म का नाम	मीडिया	
डिजिटल हैंडल/पेज/चैनल/अकाउंट होल्डर/संचालक/डिजिटल इनफ्लूएंसर्स/कंटेंट राइटर अथवा इनसे संबंधित एजेंसी/फर्म का कार्यस्थल	मीडिया	
बैंक का नाम		
शाखा का नाम		
खाता संख्या		
आई0एफ0एस0सी0 कोड		

नोट - प्रमाण स्वरूप कैंसिल चेक की एक लीफ संलग्न करें।

दिनांक-

स्थान-

हस्ताक्षर-

(स्वामी/संचालक का नाम मोहर सहित)

आवेदन सहित जमा किए जाने वाले संलग्नक / संबंधित प्रपत्रों की चेकलिस्ट

1.	निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ, उ0प्र0 को संबोधित कवरिंग लेटर	☐
2.	पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र।	☐
3.	संबंधित प्लेटफॉर्म की एनॉलिटिक्स रिपोर्ट (विगत छः माह की प्रतिमाह एवं संयुक्त रिपोर्ट)	☐
4.	पैन कार्ड	☐
5.	आधार कार्ड	☐
6.	जी.एस.टी. सर्टिफिकेट	☐
7.	खाता संबंधी कैंसल चेक मूल रूप में	☐
8.	रु0 100/- के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटराईज शपथ पत्र (मूल रूप में)	☐
9.	विभाग से पत्राचार संबंधित अधिकृत व्यक्ति को अधिकृत करने संबंधी स्वयं के लेटरहेड पर अथॉरिटी लेटर।	☐
10.	आयकर रिटर्न प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)	☐
11.	डिजिटल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल/अकाउंट होल्डर/संचालक/डिजिटल मीडिया इनफ्लूएंसर्स/कंटेन्ट राइटर अथवा इनसे संबंधित एजेंसी/फर्म के पंजीकरण से संबंधित प्रपत्र	☐
12.	छायाप्रतियां हस्ताक्षर, मोहर से प्रमाणित की गई हों	☐

नोट :- आवेदन पत्र के साथ उपरोक्त समस्त प्रपत्र चेकलिस्ट के क्रमानुसार लगायें।